फॉर्म संख्या 7 FORM NO. 7

गृह निर्माण अग्रिम के लिए प्रतिहस्तांतरण पत्र का प्रारूप Form of Reconveyance for House Building Advance

नियम 8 (घ) देखें {Vide Rule 8 (d)}

यह प्रतिहस्तांतरण विलेख एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके पदोत्तरवर्ती और समन्देशिती भी हैं) जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है और दूसरे पक्षकार के रूप में और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान(भारत सरकार) के (जिसे इसमें आगे "बंधककर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं) जब तक कि ऐसा विषय या संदभ्र से अपवर्जित या उसके (विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख को किया गया है। THIS DEED OF RECONVEYANCE IS MADE THIS...... day of 20....... BETWEEN THIS PRESIDENT OF INDIA (hereinafter called the Mortgagee which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context include his successors in office and assign) of the one part andof National Informatics Centre (Govt. of India) (Hereinafter called the Mortgagor which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context include his/her heirs, executors, administrators and assigns) of the other part. एक पक्षकार के रूप में बंधनकर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधकदार के बीच तारीख को किए गए बंधक करार द्वारा जो में पुस्तक संख्या जिल्हा संख्या से तक में संख्या तक में संख्या के रूप में के लिए राजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे मूल-करार कहा गया है) बंधककर्ता में स्थित संपत्ति को, जिसका अधिक और विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में दिया गया है, बंधककर्ता द्वारा बंधककर्ता को किए गए रूपए के अग्रिम को प्रतिभूत करने केलिए बंधक करार द्वारा बंधक कर दिया है। Between the Mortgagor of the one part of the one part of the Mortgagee of the other part and registered at...... in Book......volume...... pages toas No...... for.....(hereinafter called the Principle The Mortgagor by the said principal Indenture mortgaged at......and more particularly described in the Schdule hereunder written to the Mortgagee to secure an advance of Rs.....made by the Mortgagee to the Mortgagor मूल करार की प्रतिभृति पर शोध्य और देय सब धन का पूरा संदाय कर दिया गया है और तदनुसार, बंधनकर्ता के अनुरोध पर बंधकदार इसमें इसके आगे अंतर्विष्ट रूप में बंधक परिसर का प्रतिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और उपर्युक्त के प्रतिफलस्वरूप बंधकदार में स्थित उक्त संपूर्ण भ-खंड का, जो मुल करार से समाविष्ट है और जिसका विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसुची में किया गया है, उसके उन अधिकारी, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो मूल करार में उल्लिखित हैं तथा मूल करार के आधार पर उक्त परिसर में, उसमें से या उस प्रतिहस्तांतरण की सभी संपदा, अधिकार हैक, हित संपत्ति, दावे और मांग का इसके द्वारा बंधककर्ता को अनुदान; समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण करता है। इसके द्वारा बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का अनुदान; समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण किया जाना अभिव्यक्त है, उसे बंधककर्ता उक्त मूल करार द्वारा प्रतिभृत किए जाने के लिए आशयित सी धन और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिए या इसके संबंध में अथवा मूल करार के या परिसर की बाबत किसी चीज के संबंध में सभी अनुयोजनों, वादों, लेखाओं, दावों और मांगों से निर्मृक्त रूप से प्राप्त और धारण करेगा। बंधकदार इसके द्वारा बंधककर्ता से प्रसंविदा करता है कि उसने (बंधकदार ने) न तो ऐसी कोई बात की है, न जान बूझकर सहन की है, और न उसमें पक्षकार या संसर्गी रहा है जिससे उक्त परिसर या उसका कोई भाग हक, संपदा की बाबत या अन्यथा अधिक्षिप्त, विल्लंगमित या प्रभावित होता है या किया जा सकता है। इसके साक्ष्यस्वरूप बंधकदार ने अपनी ओर से द्वारा इस पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को हस्ताक्षर करता दिए हैं।